

13.07.18

वकील ठकी- या स्वयं अपी- कोई उपस्थित  
नहीं है। अपी-को बार-बार आवाजें दिलाई  
गई। अपी- की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं आया। रेल्वो- को अधिक उपस्थित  
है। अतः अपील ठकीलान्त अदम होजरी  
व अदम फरवी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली के सल शुमार होकर वाद वकील  
जाबता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर